भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5647

(उत्तर देने की तारीख 26.07.2019)

अकादमिक/आरएंडडी संस्थाओं को दिए गए पेटेंट अधिकार

5647. डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) सहित अकादमिक/आरएंडडी संस्थाओं को कितने पेटेंट अधिकार दिए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के आधुनिक दौर में देश में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहलें की जा रही हैं;

(ग) देश में पुनरावर्ती और अनावश्यक अनुसंधान कार्यों को रोकने के लिए कौन–सा तंत्र विद्यमान है;

(घ) क्या इस संबंध में आईआईटी और अन्य संस्थाओं से सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकार द्वारा नई प्रौद्योगिकी को सुधारने और इसे दोषमुक्त बनाने के लिए क्या कोई निधि निर्धारित की गई है/निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*****